



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244835
CG-DL-E-31032023-244835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]
No. 198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 02/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 245(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2017-केन्द्रीय कर, 29 दिसंबर, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के छोटे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी, जो

250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय केन्द्रीय कर की कुल रकम शून्य है।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 73/2017-केन्द्रीय कर, 29 दिसंबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 515(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2022-केन्द्रीय कर, 5 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 02/2023—CENTRAL TAX

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017— Central Tax, dated the 29th December, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely: —

In the said notification, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March 2019 or for the Financial years from 2019-20 to 2021-22 by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.”.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 73/2017— Central Tax, dated the 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended, vide notification number 12/2022 – Central Tax, dated the 5th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 515(E), dated the 5th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 03/2023-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 246(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर ऐसे रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात् :-

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेंगे ;
- (ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय रकम का, ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए संदेय रकम सहित, संदाय करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मामलों में और परिसीमा विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 03/2023 – CENTRAL TAX

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely:—

- (a) the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;
- (b) the application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;
- (c) no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

Explanation: For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section (1) of section 30 of the said Act.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 04/2023-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 247(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2023 है।
- (2) ये 26 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 में,—

(i) उपनियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) जहां कोई आवेदक, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन करता है, वहां वह आधार संख्यांक अधिप्रमाणन करेगा और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन करने की तारीख या उपनियम (4) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में, जिसने आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन किया है और जिसकी पहचान डाटा विश्लेषण तथा जोखिम मानदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर की गई है, बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और जहां आवेदक कोई व्यक्ति है, वहां आवेदक का फोटो लेकर अनुपालन किया जाएगा या धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का जहां आवेदक व्यक्ति नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से किसी एक पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित अपलोड की जाएगी और इस परंतुक के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन पूरा हुआ समझा जाएगा।”;

(ii) उपनियम (4ख) में, “के उपबंधों” शब्दों के स्थान पर, “का परंतुक” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सं. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 26/2022-केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा सं. सा.का.नि. 902(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 04/2023 – Central Tax

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 26th day of December, 2022.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 in rule 8,—

(i) for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier.

Provided that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded

with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso.”;

(ii) in sub-rule (4B), for and words, “provisions of”, the words “proviso to”, shall be substituted.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published, vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, vide notification No. 26/2022 -Central Tax, dated the 26th December 2022, vide number G.S.R. 902 (E), dated the 26th December 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 05/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उपनियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, “के उपबंध गुजरात राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।” शब्दों के स्थान पर, “का परंतुक गुजरात राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होगा।” शब्द रखे जाएंगे।

2. ये 26 दिसंबर, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 05/2023- Central Tax

G.S.R. 248(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-rule (4B) of rule 8 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2022-Central Tax, dated the 26th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 903(E), dated the 26th December, 2022, namely:-

In the said notification, for the words, “provisions of”, the words “proviso to” shall be substituted.

2. They shall be deemed to have come into force from the 26th day of December, 2022.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note : The principal Notification No. 27/2022- Central Tax, dated the 26th December, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 903(E), dated the 26th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 06/2023—केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 249(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर यह अधिसूचित करती है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फ़रवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अर्थात्:-

- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;
- (ii) विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के संलग्न होगी,

यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 06/2023 – CENTRAL TAX

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28th day of February, 2023 under sub-section (1) of section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely,-

- (i) the registered persons shall furnish the said return on or before the 30th day of June 2023;
- (ii) the return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of section 50 of the said Act and the late fee payable under section 47 of the said Act,

irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 07/2023—केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 250(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है।	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रति दिन।
2.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रति दिन।

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में संदेय विलंब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 07/2023 – CENTRAL TAX

G.S.R. 250(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in Column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

TABLE

Serial Number	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or Union territory.

2.	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the relevant financial year.	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or Union territory.
----	---	---

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244836
CG-DL-E-31032023-244836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1504]
No. 1504]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 01/2023-क्षतिपूर्ति उपकर

का.आ. 1566(अ).—वित्त अधिनियम 2023 (2023 का 08) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 1 अप्रैल, 2023 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 163 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 190354/85/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 01/2023-Compensation Cess

S.O. 1566(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2023 (08 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2023, as the date on which the provisions of section 163 of the said Act shall come into force.

[F. No. 190354/85/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.